न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टी.ए. / 2085 / 2006 / झुंझनू

श्रीमती मूली देवी पुत्री स्व. जैलाराम जाट पत्नि प्रताप सिंह जाट
निवासी लोयल तहसील खेतडी जिला झुंझनू।

.....प्रार्थीया

बनाम

1– मालाराम (मृतक) पुत्र तेजाराम, निवासी सोलाना तहसील चिडावा जिला झुंझनू जरिये विधिक वारिसान :–
- 1/1– संजय देवी पत्नि स्व. मालाराम जाट
- 1/2– प्रवीण कुमार पुत्र स्व. मालाराम जाट
- 1/3– प्रमोद कुमार पुत्र स्व. मालाराम जाट
  समस्त निवासीगण ग्राम सोलाना तह. चिडावा जिला झुंझनू।
- 1/4– प्रमीला पुत्री स्व. मालाराम जाट पत्नि नवीन कुमार जाट
  निवासी सांवलोद तहसीद बुहाना जिला झुंझनू।
- 1/5– प्रियंका पुत्री स्व. मालाराम जाट पत्नि सुनीला कुमार निवासी
  महराणा तहसील बुहाना जिला झुंझनू।

2– रामेश्वर पुत्र तेजाराम जाट
3– बनवारी पुत्र तेजाराम जाट
} निवासीगण ग्राम सोलाना तहसील चिडावा जिला झुंझनू।

4– माली देवी पुत्री तेजाराम पत्नि सतरूप जाट निवासी चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझनू।

5– मनभरी बेवा नैणाराम
6– हरकोरी बेवा लोकराम
7– राजेन्द्र पुत्र लोकराम
8– सुरेश कुमार पुत्र लोकराम
9– राजबाला पुत्री लोकराम
} जाति जाटान निवासीगण ग्राम सौलाना जिला तहसील खेतड़ी जिला झुंझनू

10–दयाराम (मृतक) पुत्र नैणाराम जाट निवासी सौलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझनू जरिये विधिक वारिसान :–
- 10/1– चन्द्रकला धर्म पत्नि दयाराम जाट
- 10/2– कुलदीप पुत्र स्व. दयाराम जाट
  } निवासीगण ग्राम सोलाना तहसील चिडावा जिला झुंझनू
- 10/3– विनोद कुमारी पुत्री स्व. दयाराम पत्नि विरेन्द्र कुमार जाट
  निवासी मरोड का बास झुंझनू तहसील व जिला झुंझनू।

11– शारदा बेवा इन्द्राज जाट
12– पूनम पुत्री इन्द्राज जाट
} निवासीगण ग्राम सोलाना तहसील चिडावा जिला झुंझनू
13– बनारसी स्त्री नोहर सिंह जाट निवासी इण्डाली तह0 व जिला झूंझनू।

<u>निगरानी / टी.ए. / 2085 / 2006 / झुंझनू</u>
श्रीमती मूली देवी बनाम मालाराम आदि

14– पतासी स्त्री बिजाराम जाट निवासी भोबिया तह0 चिडावा जिला झूंझनू।
15– सजना स्त्री ताराचन्द जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झूंझनू।
16– केसर पत्नि ख्यालीराम जाट निवासी श्यामपुरा, तहसील चिडावा जिला झंझनू।
17– सुधा पुत्री नैणाराम पत्नि मनीराम जाट निवासी श्यामपुरा, तहसील चिडावा जिला झुंझनू।
18– विनीत कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र जाट निवासी सोलाना तहसील चिडावा जिला झुंझनू।

.....अप्रार्थीगण

<u>एकल–पीठ</u>
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

<u>उपस्थितः–</u>
श्री आत्माराम, अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक : 25 अक्टूबर, 2018

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी उप खण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा राजस्व वाद संख्या–258/01 में दिनांक 10–3–2006 को पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा प्रतिवादीगण / रेस्पोन्डेन्टस की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 30–12–2005 अन्तर्गत आदेश–11 नियम–12 सीपीसी एवं आवेदन पत्र दिनांक 20–1–2006 अन्तर्गत आदेश–11 नियम–14 सीपीसी स्वीकार किये गये थे। उक्त आदेश के द्वारा श्रीमती मूली देवी निगरानीकर्ता को उस बही को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था जो कि उसके विवाह के दौरान हुई रस्मों को दर्ज करने के संबंध में लिखी गयी थी। इसके अलावा प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोलाना को भी निर्देशित किया गया था कि श्रीमती मूली देवी के उक्त विद्यालय में एडमिशन सम्बन्धित रिकार्ड (एस.आर. संख्या–862) को न्यायालय में प्रस्तुत करें।

2– गैर निगरानीकर्तागण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये इसलिये वकील निगरानीकर्ता को एकपक्षीय सुना गया था।

<u>निगरानी / टी.ए. / 2085 / 2006 / झुंझनू</u>
श्रीमती मूली देवी बनाम मालाराम आदि

3– विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की दलील है कि विचारण न्यायालय ने अतार्किक एवं नॉन स्पीकिंग आर्डर पारित किया है। विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबों को पढे बिना एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्को को आदेश में अंकित किये बिना एक सरसरी आदेश पारित किया है। वादपत्र, जवाब दावा, वादीया द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहान के कथनो में किसी बही का उल्लेख कहीं भी नहीं है। इसलिये उस बही को जो कभी अस्तित्व में ही नहीं रही, कैसे तलब किया जा सकता है, यह बात आक्षेपित आदेश से स्पष्ट नहीं होती है। निगरानीकर्ता / वादीया अनपढ़ है, जो कभी विद्यालय में नहीं गयी। इसलिये प्राधानाध्यापक से वादिया / निगरानीकर्ता के विद्यालय का रिकार्ड तलब करने का भी कोई औचित्य नहीं था। यह रिकार्ड प्रतिवादीगण यह कहते हुये तलब करवाना चाह रहे हैं कि वादिया नन्दलाल की पुत्री है जबकि नन्दलाल स्वयं खाना शहादत में उपस्थित हुआ है तथा उसने वादिया को अपनी पुत्री नहीं होना स्पष्ट अंकित किया है। वैसे भी नन्दलाल और वादिया की उम्र में मात्र 10–11 वर्ष का अन्तर है इसलिये वादिया नन्दलाल की पुत्री हो ही नहीं सकती है। विचारण न्यायालय ने दोनों दस्तावेजातों को तलब करने का आदेश पारित करके क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है। अतः आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाकर तथा प्रतिवादीगण के दोनों आवेदन पत्रों को खारिज किया जाए।

4– उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया।

5– आक्षेपित आदेश के द्वारा विचारण न्यायालय ने दो दस्तावेजों को तलब करने का आदेश दिया है। पहला दस्तावेज निगरानीकर्ता / वादिया से उसके विवाह के संबंध में लिखी गई बही है तथा दूसरा दस्तावेज वादिया के विद्यालय में एडमिशन लेने सम्बन्धित है तथा यह दस्तावेज प्राधानाध्यापक से तलब किया गया है। यह दोनों दरखास्ते प्रतिवादीगण ने वादिया की ओर से 6 गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाने के बाद पेश की थी। वादिया ने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि ना तो वह विद्यालय में पढने के लिये कभी गयी और ना कि उसके विवाह के समय में कोई बही लिखी गयी थी। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में ना तो प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी दरखास्तों, वादीया द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्रों एवं उनकी बहस का उल्लेख किया है और ना ही यह उल्लेख किया है कि जिन दस्तोवजों को वादिया व प्राधानाध्यापक से तलब किया जा रहा है वे दस्तावेजात प्रकरण के निस्तारण के लिये किस प्रकार सुसंगत है। जब वादिया का स्पष्ट कहना है कि ऐसी कोई बही लिखी ही नहीं गयी थी, तब उस दस्तोवज को कैसे तलब किया जा सकता है इसका भी कोई

निगरानी / टी.ए. / 2085 / 2006 / झुंझनू
श्रीमती मूली देवी बनाम मालाराम आदि

कारण आक्षेपित आदेश में अंकित नहीं है। इसलिये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का, जिसमें वादिया द्वारा प्रस्तुत छः गवाहान के बयानात भी शामिल थे, अध्ययन किये बिना नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया है। मात्र इतना लिख देने से कि यह दस्तावेजात निर्णय करने में सहायक होगे, कानून की मंशा पूर्ण नहीं होती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इसलिये आक्षपित आदेश को इस निर्देश के साथ अपास्त किया जाना उचित होगा कि विचारण न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों पर सुनकर पुनः विधि अनुसार आदेश पारित करें।

6– लिहाजा निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 10–3–2006 अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनों आवेदन पत्रों पर दोनों पक्षों को सुनकर विधि अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करें। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य